संख्या-569/2025/454के-2/22-3-2025-17(347)/2020

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 08 दिसम्बर, 2025

विषय:-जिला कारागार, गाजीपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजवन्त सिंह पुत्र श्री विजयबहादुर सिंह, निवासी जनपद-गाजीपुर की दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-12284/प्रोबे0-5/दया0/जि0का0गाजीपुर-2184ए, दिनांक 17.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गाजीपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजवन्त सिंह पुत्र श्री विजयबहादुर सिंह, ग्राम-धुस्का, थाना-जमानियाँ, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करने के विवाद को लेकर दिनांक 28.10.1982 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठियों से मारकर 01 व्यक्ति को घायल कर दिया। जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-50/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 323/149, 147 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर के आदेश दिनांक 30.08.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04.09.2018 द्वारा धारा-304 (पार्ट-1) में आजीवन कारावास की सजा को 10 वर्ष के कारावास में परिवर्तित किया गया।

वरिष्ठ अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दी राजवन्त सिंह पुत्र श्री विजयबहादुर सिंह की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर विचार किया गया। बन्दी द्वारा 10 वर्ष की कारावास के सापेक्ष अपरिहार 02 वर्ष, 08 माह, 10 दिन मात्र की सजा भोगी गयी तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गाजीपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजवन्त सिंह (बन्दी संख्या-163/2019) पुत्र श्री विजयबहादुर सिंह, जनपद-गाजीपुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी को सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजीपुर।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।